35

Original

Proceeding of xxxv meeting of the Academic Council held on 29.4.2008

Venue- Committee Room

Office of the Registrar

Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut – 250 110

Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut – 250110

PROCEEDING OF XXXV ACADEMIC COUNCIL MEETING HELD ON Dt. 29-04-2008.

Following were present:

1.	Prof. M.P. Yadav	Vice-Chancellor/ Chairman
2.	Sri H.N. Shukla	Comptroller
3.	Dr. I.B. Singh	Director Research
4.	Dr. O.P. Singh	Director Extension
5.	Dr. Y.P. Singh	Acting Dean (PGS)
6.	Dr. B. Ram	Acting Dean Agriculture
7.	Dr. Devi Singh	Acting Dean Biotech
8.	Dr. R.R.P. Chaudhary	Joint Director Research
9.	Dr. B. S. Chaudhary	Prof. & Head (Agricultural Economics & Mgt.)
10.	Prof. Samsher	Prof. & Head (Agriculture Engg.)
11.	Dr. I.P. Singh	Prof. & Head (Horticulture)
12.	Dr. C.S. Prasad	Prof. & Head (Entomology)
13.	Dr. Raghuveer Singh	Prof. & Head (Agronomy)
14.	Dr. Ashok Kumar	Prof. & Head (Soil Science)
15.	Dr. L.R. Singh	Prof. Agronomy, ZRS, Nagina
16.	Dr. S.K. Bhatnagar	Prof. & Head (Cell Biology)
17.	Dr. S.A. Kerkhi	Prof. & Head (Genetics & Plant Breeding)
18.	Dr. Rajendra Kumar	Prof. & Head (Agri. Biotech)
19.	Dr. Anil Sirohi	Prof. & Head (Molecular Biology & Genetic Engg.)
20.	Dr. Ramji Singh	Prof. & Head (Plant Pathology)
21.	Dr. Raghvender Singh	Prof. & Head (Physiology & Biochemistry)
22.	Dr. J. Yadav	Dean Student Welfare
23.	Dr. R. Kumar	Assoc. Professor (Cell Biology)
24.	Dr. P.K. Rai	Assoc. Professor (Pathology & Microbiology)
25.	Er. N.C. Gupta	Assoc. Director (Agriculture Engg.), KGK, Bareilly
26.	Er. B.D. Tirpathi	Assoc. Director (Agriculture Engg.), KGK, Bulandshahar
27.	Dr. Pankaj Kumar	Assoc. Professor (Physiology & Biochemistry)
28.	Dr. Mukesh Kumar	Asstt. Professor (Horticulture)
29.	Er. Sanjay Singh	Asstt. Professor (Agriculture Engg.)
30.	Dr. Sangeet Bansal	Asstt. Professor (Commercial Biology)
31.	Dr. Narendra Sharma	Registrar/ Secretary, Academic Council

The Hon'ble Vice-Chancellor chaired the meeting which started with welcome of members by the Secretary Academic Council. Following agenda items were discussed and finalized.

Vice-Chancellor/Chairman
Academic Council

Registrar/Secretary
Academic Council

Agenda-1 दिनॉक 05.12.2007 व 20.02.2008 को सम्पन्न हुई विद्वत परिषद् की बैठक की कार्यवाही का पुष्टीकरण।

विद्वत परिषद ने सर्वसम्मति से दिनॉक 05.12.2007 व 22.02.2008 की कार्यवाही का पुष्टीकरण कर दिया। साथ ही यह भी सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बैठक का कार्यवृत जारी होने की दिनॉक से 10 दिन के अन्दर यदि किसी सदस्य का कोई Objection आता है तो उस पर विचार किया जाय या नही यह अगली बैठक में तय होगा। 10 दिन के बाद कोई भी Objection स्वीकार्य नहीं होगा।

Agenda-2 **To start diploma course on "Agriculture and Food Processing" in the Deptt. of Agricultural Engineering and Food Technology from academic session 2008-09.**

A proposal was submitted to strengthen the Deptt. of Agricultural Engineering and Food Technology during XIth Plan in the area of food processing by starting one year diploma course on "Agriculture and Food Processing". After submission, the said proposal was presented by Prof. Samsher, HOD (AEFT) in the meeting held under the chairmanship of DG, UPCAR at Lucknow on dated 01.05.2007. Lateron, the proposal was revised with the budget requirement of Rs. 2.25 crore for consideration during XIth Plan. The said proposal was again presented by Prof. Samsher before the Expert Committee Meeting on dated 31.10.2007 at UPCAR Lucknow. Several correspondences were made by the University in response to letters of Govt. of UP and UPCAR Lucknow. In this regard, the Principal Secretary, Agriculture Education and Research, Govt. of UP has communicated to the Hon'ble Vice-Chancellor about the financial sanction of Rs. 25 lakh during the year 2007-08 to start diploma course on "Agriculture and Food Processing".

In view of this, the above agenda item is submitted for approval of the Academic Council so as to start one year diploma course on "Agriculture and Food Processing" from Academic session 2008-09. The admission policy shall be decided by the UPCAR/Govt. of UP.

The proposal was submitted by the Head of department of Agriculture Engg. & Food Technology for the approval of Academic Council.

The proposal was discussed & approved by the Council.

Agenda – 3 **Signing Memorandum of Understanding (MOU) for collaboration of Post Graduate Research between Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology (CIPHET) Ludhiana and SVBP University of Agric. and Tech., Meerut.**

The proposal was submitted by Prof. Samsher, Head of the Department of Agri. Engg. The Proposal was discussed and approved as below.

Vice-Chancellor/Chairman
Academic Council

Registrar/Secretary
Academic Council

The Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology (CIPHET) Ludhiana of ICAR and Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agric. and Tech. Meerut are amongst the premier constituents of the National Agricultural Research System (NARS) of the country. These organizations undertake teaching, research and extension activities as per their respective mandates aimed at overall increase in productivity of Indian Agriculture including food processing sector. Both organizations are engaged in improving rural economy in order to uplift living standards of the farmers through improved scientific agriculture, value addition and post harvest technology practices.

The time has come when we need to work in a consortium approach to solve the complex problems mainly due to socio-economic reasons of Agriculture and Food Processing. Our University has started an initiative for active collaboration with various ICAR and academic institutions in the country for PG research. The joint M.Tech. and Ph.D. research will expose the students to use state- of- art laboratory and real world problem solving projects.

In order to fully realize the objectives and address respective research priorities through cooperation and collaboration for achieving the common goals mandated to the two organizations, this agenda is submitted for granting permission to sign MOU between the SVBPUA&T Meerut and the CIPHET Ludhiana for PG research and training.

The Academic Council approved the proposal.

Agenda-4 कृषि महाविद्यालयमें स्थित कृषि बॉयोटैक्नोलॉजी विभाग को बॉयोटैक्नोलॉजी महाविद्यालय में संविलियन के संबंध में।

कृषि महाविद्यालय में स्थित कृषि बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग को बॉयोटेक्नोलॉजी महाविद्यालय में संविलियन के सम्बंध में माननीय प्रबंध परिषद में प्रस्ताव रखा गया था। माननीय प्रबंध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि जो कमेटी डा0 आर0पी0 शर्मा की अध्यक्षता में बनायी गयी है, उस कमेटी की संस्तुति के साथ प्रस्ताव को पुनः माननीय प्रबंध परिषद की बैठक में रखा जाय।

डा0 शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी का कार्यवृत्त माननीय प्रबंध परिषद में प्रस्तुत करने हेतु विद्वत परिषद के अनुमोदनार्थ प्रेषित। **(संलग्नक–क)**

विद्वत परिषद् में प्रस्ताव पर विचार विमर्श होने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि College of Biotechnology एवं College of Agriculture की समस्त बॉयोटैक Faculty इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के उपरान्त अपने सुझाव 07 दिन के अन्दर कुलपति/अध्यक्ष, विद्वत परिषद् को प्रेषित करेगी।

Vice-Chancellor/Chairman
Academic Council

Registrar/Secretary
Academic Council

इसके उपरान्त माननीय कुलपति जी, अधिष्ठाता स्नातकोत्तर, अधिष्ठाता कृषि एवं अधिष्ठाता बॉयोटैक द्वारा दिये गये सुझावों एवं पूर्व में High Power Committee की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेकर प्रस्ताव को प्रवन्ध परिषद् में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।

Agenda-5 Proposal for approval of the courses being run by RVC Center and College, Meerut with Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut for award of Post Graduate Degree/ Diploma.

विद्वत परिषद की पूर्व बैठक दिनॉक 20.02.2008 द्वारा आर वी सी सेंटर एण्ड कॉलिज, मेरठ हेतु एक समिति का गठन किया गया था। विद्वत परिषद में लिये गये निर्णय अनुसार गठित समिति को अपनी रिपोर्ट विद्वत परिषद की आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त समिति की रिपोर्ट विद्वत परिषद के विचारणार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। **(संलग्नक–ख)**

उक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा उपरान्त, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा रखी गई रिपोर्ट को विद्वत परिषद् इस आशय के साथ स्वीकार करती है कि विश्वविद्यालय के नियम परिनियमों में सम्बद्धता की स्वीकृति यदि उत्तर प्रदेश शासन/महामहिम कुलाधिपति जी से प्राप्त हो जायेगी तो आर वी सी सेन्टर और कॉलिज, मेरठ में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता देने में विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव को प्रवंध परिषद् में ले जाने हेतु अनुमोदित किया गया।

Agenda-6 The proposal for approval of regulations on the constitution of committee on Student's Discipline.

1. The Constitution of the Committee on Students' Discipline shall be as under:
   - A- One member of the Board of Faculty of Agriculture.
   - B- One member of the Board of Faculty of Biotechnology.
   - C- One member from amongst the Officers of the University.
2. The Committee on Students' Discipline shall be elected annually by ballot by the Academic Council.
3. There shall be a Chairman and a Secretary of the Committee on Students' Discipline.
4. It shall be obligatory for each member to attend the meetings of the Committee on Students' Discipline if he/she is on duty on the campus on the date of meetings even if it amounts to making some alternative arrangement for other works of the University.
5. In the absence of the Chairman in any meeting of the Committee, the next senior-most person in the Committee shall act as Chairman.

प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। यह भी तय किया गया कि अभी अगस्त, 2008 तक पूर्व में बनी समिति ही कार्य करेगी। अनुशासन समिति में अधिष्ठाता स्नातकोत्तर, अधिष्ठाता कृषि एवं अधिष्ठाता बॉयोटैक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चीफ वार्डनस तथा हॉस्टिल वार्डन होंगे। अधिष्ठाता छात्र कल्याण समिति के सचिव तथा शेष अधिष्ठाताओं में

Vice-Chancellor/Chairman
Academic Council

Registrar/Secretary
Academic Council

से बारी–बारी से एक–एक वर्ष के लिये अध्यक्ष बनेंगे। अनुशासन समिति की सुनवाई के समय संबंधित छात्रावास के चीफ वार्डन एवं वार्डन उपस्थित रहेंगे।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रावास से सम्वन्धित नियमों परिनियमों को भी विद्वत परिषद् से पारित कराकर लागू किये जाने की आवश्यकता है। जिस पर अध्यक्ष, विद्वत परिषद् द्वारा निम्न समिति का गठन किया गया –

डा0 बी0 राम	अधिष्ठाता कृषि	अध्यक्ष
डा0 वाई0 पी0 सिंह	अधिष्ठाता स्नातकोत्तर	सदस्य
डा0 देवी सिंह	अधिष्ठाता बायोटैक	सदस्य
डा0 जे0 यादव	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	सदस्य
डा0 बिजेन्द्र सिंह	निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण	सदस्य
समस्त वार्डन	छात्रावास	सदस्य

समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट विद्वत परिषद् में पारित कराने हेतु सचिव विद्वत परिषद् को जल्द से जल्द प्रेषित करेगी। ताकि आगामी बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ रखा जा सके।

Agenda-7 Establishment of College of Post Harvest Technology and Food Processing.

The proposal was submitted by Prof. Samsher, Head of the Department Agricultural Engg. and Food Technology for the approval of Academic Council.

Post harvest and value addition sector has been recognized as one of the high employment potential sectors in Indian economy (***"India Vision 2020"* document of the GoI**). India is an agro-based country with food grain production exceeding 210 million tonnes, fruits and vegetable production exceeding 140 million tonnes besides other products such as spices and condiments, medicinal and aromatic plants, meat and fish, poultry, milk etc. However, post harvest facilities with state- of- art- technology to handle and process the agricultural commodities are insufficient. As a result 30-40 per cent of the produce is lost every year due to lack of storage/processing and scientific expertise on post harvest technology. In India, the level of processing has been very low i.e. 2% for fruits and vegetables, 14% for milk, 4 per cent for fish, and 1 per cent for meat. Overall, the value addition has also been low at 8 per cent level. By the year 2014-2015, with expected growth rate of 15-16 per cent, the level of value addition is expected to reach 15 per cent. Therefore, there is vast scope for value addition to agricultural products.

With remarkable increase in agricultural production in India, the availability of different types of agricultural by-products, wastes and residues have also increased. These include crop residues, processing by- products, animal refuse and forest biomass. It is estimated that about 500 million tonnes of such products are annually produced in India in the form of straw, stalks, husk, cobs, shells, sticks, peels, seeds, stones, fibres etc.

Vice-Chancellor/Chairman
Academic Council

Registrar/Secretary
Academic Council

But, bulk of such materials remains unutilized and their disposal becomes problems which create environmental pollution.

In view of above and in the light of emphasis being given to food processing and post harvest technology by the state government as well as the central government, the proposal is submitted for Establishment of College of Post Harvest Technology and Food Processing at this University. It has already been included in the university plan amongst 12 colleges to be established. After approval of AC, it will be submitted to Board of Management for approval.

The Academic Council approved the proposal.

Agenda-8 डा0 गजेन्द्र पाल को संयुक्त निदेशक प्रसार पदनाम को संशोधित पदनाम प्राध्यापक, सस्य विज्ञान प्रसार देने के संबंध में।

डा0 गजेन्द्रपाल को माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक दिनांक 22.02.2007 में संयुक्त निदेशक प्रसार का प्रोन्नत पदनाम दिया गया था। उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 290/12–8–2000–400(43)/99ए दिनांक 07.02.2000 के बिन्दु 17 पर पदनाम से सम्बन्धित निम्न व्यवस्था दी गयी है।

"An Associate Professor/equivalent with a minimum of eight years of service will be eligible for consideration for the appointment as a Professor, subject to condition laid down by ICAR."

उक्त के अनुसार डा0 गजेन्द्र पाल को संयुक्त निदेशक प्रसार पदनाम के स्थान पर संशोधित पदनाम प्राध्यापक, सस्य विज्ञान (प्रसार) देना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद की एकादश बैठक दिनांक 23.02.2008 को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। "डा0 गजेन्द्र पाल के संयुक्त निदेशक प्रसार पदनाम को संशोधित पदनाम प्राध्यापक, सस्य विज्ञान (प्रसार) देने के संबंध मे माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि पहले इस प्रकरण को विद्वत परिषद में पारित कराया जाये। तदानुसार माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।"

विद्वत परिषद से अनुरोध है कि डा0 गजेन्द्रपाल को संयुक्त निदेशक प्रसार पदनाम को संशोधित पदनाम प्राध्यापक, सस्य विज्ञान (प्रसार) पदनाम संशोधित करना चाहें ताकि माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक मे अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके।

उक्त प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। विद्वत परिषद् में प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबंध परिषद् में ले जाने हेतु किया गया। कुछ सदस्यों द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि पूर्व में कुछ प्राध्यापकों के पद के समक्ष प्राध्यापक (प्रसार) संबंधित विषय के साथ प्रबंध

परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया था। परन्तु मुख्य कॉर्मिक अधिकारी कार्यालय से जो आदेश हुए उनमें प्रसार शब्द को हटा दिया गया, इस पर विद्वत परिषद् द्वारा पूर्व में इस प्रकार के जो भी प्रोन्नत प्राध्यापक के Cases के निरीक्षण हेतु एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति में डा0 आर0आर0पी0 चौधरी, डा0 अनिल सिरोही, डा0 खडग सिंह होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट आगामी विद्वत परिषद् की बैठक से पूर्व सचिव, विद्वत परिषद् को प्रेषित करेगी। जिस को विद्वत परिषद् में विचारणार्थ रखा जायेगा। उसके बाद प्रबंध परिषद को प्रेषित किया जायेगा।

Agenda-9 भूदृश्य एवं उद्यान अनुभाग (Landscaping & Garden Section) हेतु पदों की स्वीकृति के संबंध में।

भूदृश्य एवं उद्यान अनुभाग (Landscaping & Garden Section) द्वारा विश्वविद्यालय में प्रभावी ढंग से सौन्दर्यीकरण कार्यों को कराने हेतु प्रभारी अधिकारी (Landscaping & Garden Section) द्वारा निम्नानुसार पदों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया व प्रबंध परिषद हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया –

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	प्रस्तावित पदों की संख्या
1	गार्डन सुपरिटेन्डेन्ट	5500–9000	01
4	क्लर्क कम डिस्पैचर	3050–4590	01
5	स्टोर कीपर	3050–4590	01
6	ड्राईवर कम मैकेनिक	3050–4590	02
7	सेल्स मैन	3050–4590	01
8	माली	2550–3200	05
		कुल योग	11

genda–10 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में प्राध्यापक/समकक्ष पदों (वेतनमान रू0 16400–22400) पर कार्यरत वैज्ञानिकों की वरिष्ठता के संबंध में।

विश्वविद्यालय नियम–परिनियमों के अन्तर्गत शिक्षकों की ड्यूटी में शिक्षण, शोध तथा प्रसार के कार्य आते हैं। निदेशक शोध और निदेशक प्रसार जो कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सूची में दर्शाये गये है, जिनका वेतनमान प्राध्यापक के समकक्ष है तथा प्रारम्भिक वेतन रू0 17,300/– से शुरू होता है तथा संयुक्त निदेशक/प्राध्यापक के पद पर कार्यरत अधिकारियों को यदि प्राध्यापकों की सूची में सम्मिलित किया जाता है तो विश्वविद्यालय में आचार्यों/प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची अलग तरह से बनती है, जिसमें चयनित (Selection) तथा प्रोन्नत (Promoted) प्राध्यापकों की वरिष्ठता में कोई भेद नहीं किया गया है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत यदि चयनित प्राध्यापकों को प्रोन्नत प्राध्यापकों से वरिष्ठ माना जाता है तो वरिष्ठता सूची अलग तरह से बनती है। कुछ विश्वविद्यालयों में प्रोन्नती से बने प्राध्यापकों की वरिष्ठता पदभार ग्रहण की तिथि से मानी जाती है। जिसके अनुसार प्राध्यापकों की वरिष्ठता दूसरे प्रकार से

बनती है। यदि प्रोन्नत प्राध्यापकों की वरिष्ठता देय तिथि (due date) से मानी जाती है तो वरिष्ठता सूची अलग तरह से बनती है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची के संबंध में विश्वविद्यालय में विवाद है। इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लेना चाहें –

1 क्या निदेशक प्रसार/शोध जो विश्वविद्यालय के अधिकारी वर्ग में आते है तथा जिनका प्रारम्भिक वेतन रू0 17300/– है को प्राध्यापक वर्ग में वर्गीकृत किया जाय।

2 क्या अधिष्ठाता कृषि, बायोटैक तथा स्नातकोत्तर को प्राध्यापक की श्रेणी में रखा जाये।

3 क्या चयनित प्राध्यापक, पदोन्नत प्राध्यापकों से वरिष्ठ होंगे।

4 क्या पदोन्नत प्राध्यापकों को उनकी योगदान की तिथि से प्राध्यापक माना जाय।

5 क्या प्रोन्नत प्राध्यापकों को उनकी देय तिथि (due date) से प्राध्यापक मानकर वरिष्ठता सूची निर्धारित की जाय।

विद्वत परिषद द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 1 व 2 पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि निदेशक शोध/प्रसार तथा अधिष्ठाताओं को सेवानिवृत्ति लाभ देने हेतु शिक्षक वर्ग में माना जायेगा। यदि पंतनगर व फैजाबाद, कानपुर कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशक शोध/प्रसार प्राध्यापक श्रेणी में आते हैं, तो उसी आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पर भी लागू करने के लिए प्रस्ताव को प्रबंध मण्डल को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 के सम्बंध में चर्चा हुई तथा निर्णय लिया गया कि क्योंकि इस विश्वविद्यालय में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नियमों को कियान्वित किया जा रहा है। अतः जो प्रावधान वहाँ हैं, उसको ही यहाँ पर लागू किया जाय अर्थात् प्रोन्नत व चयनित प्राध्यापकों को समान मानते हुये देय तिथि से ही वरिष्ठता मानी जाय तथा यह भी निर्णय लिया गया कि ये ही नियम सह प्राध्यापक एवं समकक्ष तथा सहायक प्राध्यापक व समकक्ष में लागू होंगे। प्राध्यापकों की वरिष्ठात सूची बनाते समय बाह्य केन्द्रों के प्राध्यापकों तथा निदेशक शोध व निदेशक प्रसार को भी सम्मिलित किया जायेगा।

Agenda-11 Regarding revision of Annual Assessment report of Teaching/Research/Extension personnel.

Revised Performa of Annual Assessment report of Teaching/Research/Extension personnel, enclosed at **Annexure-III,** is proposed for consideration and approval.

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त परिषद् द्वारा तय किया गया कि प्रस्ताव को Faculty, College of Agriculture & Faculty, College of Biotechnology में चर्चा हेतु भेजा जाय, प्रस्ताव आगामी बैठक से पूर्व दोनों Faculty द्वारा पारित कर सचिव, विद्वत परिषद् को प्रेषित किया जाय ताकि आगामी बैठक में विचारणार्थ रखा जा सके।

Registrar/Secretary
Academic Council

Vice-Chancellor/Chairman
Academic Council

Agenda-12 Regarding Consideration for KVK staff viz. SMS and Training Associate equivalent to teaching position.

कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं सह प्रशिक्षकों के सेवानिवृत्ति के संबंध में दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति के समय कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः अनुरोध है कि अन्य शिक्षकों/वैज्ञानिकों की भॉति विषय वस्तु विशेषज्ञ/सहप्रशिक्षकों को भी अधिवर्षता आयु का लाभ दिये जाने हेतु प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से तय किया गया कि शिक्षकों/वैज्ञानिको की भांति/विषय वस्तु विशेषज्ञ/सहप्रशिक्षिकों की अधिवर्षता आयु का लाभ 62 वर्ष होगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति पर)

Agenda-13 माननीय अध्यक्ष, विद्वत परिषद की स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय में निर्धारित मानदेय/नियत वेतन पर गेस्ट फेकल्टी लिए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव विद्वत परिषद में विचारणार्थ रखा गया।

विश्वविद्यालय में नवनिर्मित वेटनरी कॉलेज एवं अन्य कॉलेजों में फेकल्टी की नियमित नियुक्ति होने तक गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर की भॉति निर्धारित मानदेय/ नियत वेतन पर गेस्ट फेकल्टी रखा जाना प्रस्तावित है। निर्धारित मानदेय/नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ या भत्ता देय नहीं होगा।

1	प्राध्यापक	रू0 20,000/– प्रतिमाह
2	सह प्राध्यापक	रू0 15,000/– प्रतिमाह
3	सहायक प्राध्यापक	रू0 10,000/– प्रतिमाह

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सहायक प्राध्यापक के मानदेय में बदलाव कर रूपये 12,000/– प्रतिमाह का प्रस्ताव माननीय प्रबंध परिषद के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया गया।

Agenda-14 Proposal for Accreditation of faculty members for Master's/ Ph.D. degree programme.

The proposal was submitted by Dean PGS for accreditation of faculty members for Master's/ Ph.D. degree programme for the approval of Academic Council. The names of following faculty were proposed by the Dean PGS: -

S.No.	Name	Post	Department	Accreditation for
1	Dr. Raj Kumar	Associate Prof.	Animal Husbandry	Ph.D.
2	Dr. Nazim Ali	Associate Prof.	Animal Husbandry	Ph.D.
3	Dr. D.S. Sahu	Assistant Prof.	Animal Husbandry	M.Sc.

Vice-Chancellor/Chairman

Registrar/Secretary
Academic Council